



कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई-मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592- 232967, फ़ैक्स- 236976

क्रमांक / मा0चि0 / 4337

विदिशा, दिनांक 4/12/2020

कार्यपालन यंत्री,
संजय सागर परियोजना,
बाह नदी संभाग, गंजबासौदा,
जिला-विदिशा,

विषय:- जिला विदिशा अंतर्गत सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 70.88 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्। ऑनलाईन आवेदन क्र. FP/ MP/ IRRIG / 30846/2017.

संदर्भ:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष भू-प्रबंध)सतपुडा भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/72/2017/10-11/1596 दिनांक 20/05/2019।
2 कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./3442 दिनांक 29/09/2020।

उपरोक्त उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा ऑनलाईन प्रकरण सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 70.88 हेक्टेयर वनभूमि के बदले मे कलेक्टर जिला विदिशा के द्वारा हस्तांतरित की गयी गैर वनभूमि में अतिक्रमण चट्टानी-पथरीली एवं तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं एवं प्रबंधन की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है।

अतः उक्त गैर वनभूमि के स्थान पर अन्य गैर वनभूमि 70.88 हेक्टेयर शीघ्र हस्तांतरण कराने का कष्ट करे।

96

वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

विदिशा, दिनांक 4-12-2020

क्रमांक / मा0चि0 / 4338

प्रतिलिपि :-1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष भू-प्रबंध) सतपुडा भवन, भोपाल को आपके संदर्भित पत्र क्र./एफ-3/72/2017/10-11/1596 दिनांक 20/05/2019 के संबंध में सूचनार्थ अग्रेषित।

- मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
- उप वनमंडल अधिकारी-सिरोंज एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज को निदेशित किया जाता है कि सेमलखेडी लघु सिंचाई परियोजना प्रकरण में भूमि स्थल निरीक्षण हेतु जल संसाधन विभाग को आवश्यक सहयोग करे।

96

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

4/12/20